तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.../4/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ? मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/4/26 को पेश हो।	
20/4/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ? मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/4/26 को पेश हो।	
27/4/26	पत्रा. पेश। वादी ने वाद धारा 88 व 89 R.T. Act के तहत पेश किया है। वादी का कथन है कि जमाबंदी संख्या 83 संवत 2071-74 खसरा नं. 431 में देवा पुत्र धन्ना जाति मोगिया (मोग्या) व जमाबंदी संख्या 87 संवत 2071-74 खसरा 17, 18, 7 में देवीलाल पुत्र धन्ना जाति मोगिया के खाते है परन्तु वादी का असली नाम देवीलाल पुत्र धन्ना जाति बागरी है। अत: वादी का त्रुटिपूर्ण दर्ज नाम के बजाय वादी का वास्तविक नाम राजस्व रिकार्ड में दर्शाया जाए। उपखण्ड अधिकारी ...गंजमण्डी	

TDR की रिपोर्ट की वादी मोचिया जाति (जो S.C. वर्ग में नहीं आती) उसे [illegible] से बागरी में बदलना चाहते है जो S.C वर्ग में आते है। उक्त जाति मूलवश दर्ज नहीं की गई है।

वादी का कथन है कि उक्त आराजी पैतृक है परन्तु वादी द्वारा कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि इन्तकाल के समय या उसके बाद वादी का नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज किया गया।

तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है —

वादी तनकी 1 व 2 को साबित नहीं कर पाया है। कोई ऐसा दस्तावेज़ पेश नहीं है जिससे यह ज्ञात हो वादी के पिता व उनकी जाति त्रुटिपूर्ण दर्ज की गई है।

तनकी 3 प्रतिवादी के पक्ष में जाती है।

दस्तावेज़ो के अभाव में यह साबित नहीं किया जा सकता

Ch
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने में कोई त्रुटि हुई है। अत: वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27/5/20 को सुनाया गया।	

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)